क्षेत्रीय कार्यालय

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल

एसपीएल–2,पंचम चरण,रिको औद्योगिक क्षेत्र, किशनगढ़ (अजमेर)

राप्रनिम/क्षैका किश/पीयूबी–144/ दिनांक :

पर्यावरणीय स्वीकृति समूह खनन परियोजना हेतु लोक सुनवाई के लिए आम सूचना

1. सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि **श्री मंगलराम बुनकर रेफरेंस संख्या 20201000017981 ग्राम राजपुरा द्वारा ग्रेनाइट एवं मैसनरी स्टोन खनिज क्लस्टर संख्या 09 खनन परियोजना** जिसका विस्तृत विवरण निम्न प्रकार से हैः–

क्र. स.	प्रोजेक्ट का नाम	रेफरेंस संख्या	क्षेत्रफल हैक्टेयर में	ग्राम	खनिज का नाम	उत्पादन क्षमता टीपीए (आर.ओ.एम.)
1	श्री मंगलराम बुनकर खसरा संख्या 1556/2, 1556/3	20201000017981	1.0042	राजपुरा	ग्रेनाइट	103404
2	श्री मंगलराम बुनकर	2018100001159	1.0	राजपुरा	ग्रेनाइट	110000
3	मैसर्स स्वास्तिक ग्रेनाईटस	2018100001509	1.7238	हाथगी	ग्रेनाईट एवं मैसनरी स्टोन	205772
4	श्री ग्यारसी लाल	2018100001236	1.0	राजपुरा	ग्रेनाईट	51520
5	श्री हरफूल बैरवा	201810000516	1.0	राजपुरा	ग्रेनाईट	100800
6	श्री ओमप्रकाश बैरवा	2018100001202	1.2553	राजपुरा	ग्रेनाईट	95900

कुल क्लस्टर क्षेत्रफल 6.9833 हैक्टेयर, कुल क्लस्टर उत्पादन क्षमता–667396 टीपीए (आर.ओ.एम.), ग्राम हाथगी एवं राजपुरा, तहसील मालपुरा, जिला टोंक से संबन्धित प्रार्थना पत्र मय दस्तावेज पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आवश्यक समूह खनन परियोजना लोक सुनवाई हेतु प्रस्ताव राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल (यहाँ तथा बाद में मण्डल के नाम से अभिलिखित) को प्रस्तुत किया गया है।

2. और चूंकि **श्री मंगलराम बुनकर रेफरेंस संख्या 20201000017981 ग्राम राजपुरा** ने राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल को उक्त परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आवश्यक समूह खनन परियोजना की लोक सुनवाई हेतु मण्डल को आवेदन प्रस्तुत किया है। उक्त परियोजना हेतु वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना संख्या एस. ओ. 1533 दिनांक 14.09.2006 ओर एस.ओ. 141 ई दिनांक 15.01.2016 के अनुसार समूह लोक सुनवाई हेतु आवश्यक है।

3. उक्त समूह खनन परियोजनासे सम्बन्धित समूह EIA/EMP Report एवं संक्षिप्त कार्यपालक सार अभिलेख निम्न कार्यालयों में अवलोकनार्थ उपलब्ध है :–

   1. जिला कलक्टर, टोंक।
   2. पर्यावरण विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
   3. सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मुल्यांकन समिति, राजस्थान, 04, संस्थानिक क्षैत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर।
   4. क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, किशनगढ़, जिला–अजमेर।
   5. तहसील–मालपुरा, जिला–टोंक।
   6. राजीव गांधी सेवा केन्द्र, राजपुरा, तहसील मालपुरा, जिला टोंक।

अतः सर्वसाधारण को कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, टोंक के पत्र क्रमांक न्याय/पर्यावरण/2022/346 दिनांक 13.01.2022 के क्रम में इस आम सूचना के माध्यम से एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त समूह खनन परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से संबंधित जन सुनवाई हेतु **दिनांक 25/02/2022 को दोपहर 12:00 बजे, स्थान–राजीव गांधी सेवा केन्द्र, राजपुरा, तहसील मालपुरा, जिला टोंक** में उपस्थित होकर अपने लिखित/मौखिक आक्षेप/सुझाव प्रस्तुत कर सकते है।

इस संबंध में लिखित आक्षेप/सुझाव इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिवस के अन्दर क्षैत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, किशनगढ, जिला–अजमेर को भी दिये जा सकते है।

(दीपक तॅवर)
पर्यावरण अभियंता
एवं क्षैत्रीय अधिकारी